प्राक्कथन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 82(1) के अन्तर्गत यह प्रतिवेदन परवर्ती केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में दो भाग हैं।

भाग क : राजस्व क्षेत्र

इस भाग में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत संचालित प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों की प्राप्तियों और व्यय की लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सम्मिलित हैं।

भाग ख : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

इस भाग में मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों की नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानी जाने वाली सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 139 और 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान के अन्तर्गत की जाती है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार द्वारा जम्मू एवं कश्मीर विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो 2017-18 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वे मामले भी, जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आये, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवदेनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहां आवश्यक हो, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।